भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4291

दिनांक 20 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य अवसंरचना

4291. श्री बाबू सिंह कुशवाहा:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा सरकारी अस्पतालों में सभी रोगियों को निशुल्क दवाएं, नैदानिक परीक्षण और आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;
(ख) सरकार द्वारा स्वास्थ्य अवसंरचना, मानव संसाधन और प्रौद्योगिकी को सुदृढ़ करने के लिए क्या नई पहल की गई है;
(ग) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप-केन्द्रों का उन्नयन करने के लिए अब तक कितनी प्रगति हुई है;
(घ) सरकार द्वारा डिजिटल स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और निरंतर आधार पर देखभाल सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वित की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके) और अन्य योजनाओं के अंतर्गत अब तक प्राप्त मुख्य उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ड.): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार, स्वास्थ्य सुविधाओं में पर्याप्त मानव संसाधनों की उपलब्धता, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में वंचित और हाशिए पर पड़े समूहों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल की उपलब्धता और पहुंच में सुधार के लिए सहायता प्रदान करता है। यह मंत्रालय एनएचएम के तहत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर जन स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही के रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान करती है।

आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में आने वाले रोगियों के जेब से होने वाले खर्च (ओओपीई) को कम करने के लिए, सरकार ने एनएचएम के तहत निःशुल्क दवा सेवा पहल शुरू की है। इसमें उप-स्वास्थ्य केंद्र (एसएचसी) स्तर पर 106 दवाओं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) स्तर पर 172 दवाओं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) स्तर पर 300 दवाओं, उप-जिला अस्पताल (एसडीएच) स्तर पर 318 दवाओं और जिला अस्पतालों में 381 दवाओं के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता शामिल है।

यह मंत्रालय एनएचएम के तहत 'निःशुल्क निदान सेवा पहल' कार्यक्रम का भी समर्थन करता है, जिसका उद्देश्य समुदाय के करीब सुलभ और सस्ती पैथोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल निदान सेवाएं प्रदान करना है, जिससे जेब से होने वाले खर्च में कमी आती है। जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों के सभी स्तरों पर निदान सेवाएँ निःशुल्क प्रदान की जाती हैं [एसएचसी में 14 परीक्षण, पीएचसी में 63, सीएचसी में 97, एसडीएच में 111 परीक्षण और जिला अस्पतालों में 134 परीक्षण]।

64,180 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) का उद्देश्य उप-स्वास्थ्य केंद्रों, शहरी स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों, ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों, एकीकृत जिला सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं और गहन देखभाल अस्पताल ब्लॉकों के लिए बुनियादी ढांचे के विकास को समर्थन देना है।

15वें वित्त आयोग ने राज्यों में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने के लिए स्थानीय सरकार के माध्यम से पांच वर्षों (2021-2026) की अवधि में कुल 70,051 करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश की है।

30.11.2024 तक, मौजूदा एसएचसी और पीएचसी को उन्नत करके व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल (सीपीएचसी) प्रदान करने के लिए कुल 1,75,338 आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) चालू किए गए हैं, जिसमें निवारक, प्रोत्साहक, उपचारात्मक, उपशामक और पुनर्वास सेवाएं शामिल हैं जो सार्वभौमिक, मुफ्त और समुदाय के करीब हैं।

परिचालनरत एएएम में उपलब्ध टेली-परामर्श सेवाएं लोगों को उनके घरों के नजदीक विशेषज्ञ सेवाओं तक पहुंचने में सक्षम बनाती हैं, जिससे भौतिक पहुंच, देखभाल की लागत में बचत, सेवा प्रदाताओं की कमी और देखभाल की निरंतरता सुनिश्चित करने जैसी चिंताओं का समाधान होता है। 30.11.2024 तक एएएम में कुल 30.75 करोड़ टेली-परामर्श किए गए।

एनएचएम के अंतर्गत निर्धारित और प्राप्त लक्ष्य का विवरण नीचे सूचीबद्ध है:

लक्ष्य (2021-26 के लिए एनएचएम विस्तार के अनुसार)	स्थिति	
एमएमआर को घटाकर 87 प्रति 1 लाख करना	प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 97 (एसआरएस 2018-20)	प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 113 (एसआरएस 2016-18)
शिशु मृत्यु दर को घटाकर 22 प्रति हजार किया जाए	28 प्रति हजार (एसआरएस 2020)	32 प्रति हजार (एसआरएस 2018)
राष्ट्रीय स्तर पर सतत टीएफ़आर को 2.0 तक बनाए रखना	2.0 (एनएफएचएस 5)	2.2 (एनएफएचएस 4)
1.5 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (तत्कालीन एबी-एचडब्ल्यूसी) के संचालन का लक्ष्य हासिल करें	1,75,338 (30.11.2024 तक)	80,348 (26.11.2021 तक)

किशोरों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सूचना, वस्तुएँ और सेवाएँ प्रदान करने के लिए 2014 से राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके) लागू किया गया। इसकी प्रमुख उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं:

- देश भर में 8765 किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक (एएफएचसी) स्थापित किए गए हैं।
- साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड अनुपूरण कार्यक्रम के तहत स्कूल जाने वाले लड़के-लड़कियों और स्कूल नहीं जाने वाली लड़कियों को साप्ताहिक निगरानी में आईएफए गोलियां उपलब्ध कराई जाती हैं।
- वित्त वर्ष 2024-25 में 24 नवंबर तक 46.4 लाख किशोरियों को प्रत्येक महीने सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए गए।
- स्कूल स्वास्थ्य और आरोग्य कार्यक्रम (एसएचएंडडब्ल्यूपी) 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 484 जिलों तक पहुंच गया है, जिसके तहत नवंबर 2024 तक 10.56 लाख स्वास्थ्य और आरोग्य कार्यकर्ताओं (एचडब्ल्यूए) को प्रशिक्षित किया गया है।

*****